पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने जाँच समिति में मनोज कुमार के स्थान पर विक्रम चन्द्र गोयल को सदस्य नामित किया

लखनऊः 22 मई, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति, श्री राम नाईक ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति (वर्तमान में निलम्बित), प्रो0 मुन्ना सिंह के विरूद्ध शिक्षकों आदि की चयन/नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों की अंतिम/विभागीय जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री वी0डी0 चतुर्वेदी (अवकाश प्राप्त न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति में आंशिक परिवर्तन करते हुए जाँच समिति के सदस्य श्री मनोज कुमार, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 के स्थान पर श्री विक्रम चन्द्र गोयल, कुलपति, चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सदस्य के रूप में नामित किया है। श्री मनोज कुमार द्वारा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जाँच समिति में कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गयी थी।

ज्ञातव्य है कि राज्यपाल ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की अंतिम/विभागीय जांच कर दो माह में रिपोर्ट देने के लिये 5 मई, 2015 को समिति गठित की थी जिसमें न्यायमूर्ति श्री वी0डी0 चतुर्वेदी (अवकाश प्राप्त न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अध्यक्ष तथा प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं श्री मनोज कुमार, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त) को सदस्य नामित किया था।